न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 570–एक/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–11–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 333/2004–05/अपील.

.....

1–मोहम्मद खलील पिता.मोहम्मद युसूफ

2–मोहम्मद शकील पिता मोहम्मद युसूफ

दोनों निवासी गण ग्राम भेरोगढ तहसील घटिया

जिला उज्जैन म0प्र0

..... अपीलार्थीगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपपंजीयक
उज्जैन म0प्र0

..... प्रत्यर्थी

श्री आर0पी0उपाध्याय, अभिभाषक–अपीलार्थीगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/2/16 को पारित)

यह अपील अपीलार्थीगण द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 47(क)(5) के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–11–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा ग्राम कोलुखेड़ी तहसील घट्टिया जिला उज्जैन स्थित भूमि सर्वे नम्बर 122/1 पैकि रकबा 0.731 हेक्टेयर भूमि रुपये 80,000/– में कय की जाकर दस्तावेज पंजीयन हेतु उपपंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया गया । उपपंजीयक द्वारा प्रश्नाधीन संपत्ति का बाजार मूल्य कम पाते हुये उचित मूल्यांकन हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 102/बी–105/1999–2000 दर्ज कर दिनांक 6–12–2004 को आदेश पारित किया

जाकर प्रश्नाधीन संपत्ति का बाजार मूल्य रुपये 2,00,000/– अवधारित करते हुये रुपये 19,750/– मुद्रांक शुल्क निर्धारित किया गया । चूँकि अपीलार्थीगण द्वारा रुपये 7,900/– मुद्रांक शुल्क पूर्व में ही चुका दिया था, इसलिये कमी मुद्रांक शुल्क रुपये 11,850/– एवं पंजीयन शुल्क रुपये 960/– कुल रुपये 12,810/– जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29–11–2006 को आदेश पारित कर अपील अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में त्रुटि की गई है और उनके द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र व शपथ पत्र पर कोई विचार नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थीगण द्वारा कय की गई भूमि असिंचित है और उस पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है, इस स्थिति पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा द्विफसलीय भूमि मानकर बाजार मूल्य निर्धारित करने में त्रुटि की गई है, क्योंकि मावठ में बरसात हो जाने से दूसरी फसल लेने मात्र से भूमि सिंचित नहीं मानी जा सकती है । इस आधार पर कहा गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित आदेश था, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य मानकर अग्राह्य करने में अपर आयुक्त द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा दिनांक 6–12–2004 को अपीलार्थीगण के अभिभाषक की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है और कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश दिनांक 6–12–2004 के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष प्रथम अपील 31–3–2005 को अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है । चूँकि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प

द्वारा अपीलार्थीगण की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है, इसलिये विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं होने से अपर आयुक्त द्वारा अपील अवधि बाह्य मानकर अग्राह्य करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, अतः अपर आयुक्त का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–11–2006 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर